AAE – 7 (H)

सहायक लेखा अधिकारी (सिविल) अनुपूरक परीक्षा, 2018

पुस्तिका कोड-74

नवम्बर, 2018

अधिप्राप्ति, आपूर्ति लेखे, आंतरिक लेखा परीक्षा और नियंत्रण

(पुस्तकों सहित)

समय : 2 घंटे | *अधिकतम अंक : 65*

अनुमत पुस्तकें :

1. माल की खरीद के लिए मैनुअल, 2017
2. कंसल्टेंसी और अन्य सेवाओं की खरीद के लिए मैनुअल, 2017
3. (क) केन्द्रीय सरकार लेखा (प्राप्ति और संदाय) नियम, 1983
   (ख) सामान्य वित्तीय नियमावली, 2017
4. सरकारी अधिप्राप्ति (मेक इन इंडिया को प्राथमिकता) आदेश, 2017
5. भारतीय संविदा अधिनियम, 1872
6. केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956
7. परिसीमन अधिनियम, 1963
8. महालेखा नियंत्रक द्वारा जारी निरीक्षण संहिता (1982 संस्करण)।
9. जेनुरिक इंटरनल ऑडिट मेनुअल

टिप्पणियां :

1. इस प्रश्न पत्र में **2** पृष्ठ और **5** प्रश्न हैं।
2. प्रश्न संख्या **4 अनिवार्य है** और शेष में से किन्हीं दो प्रश्नों का उत्तर दीजिए।
3. अंक प्रत्येक प्रश्न के सामने दिए गए हैं।
4. परीक्षार्थियों से अपेक्षा की जाती है कि वे प्रश्नों के स्पष्ट और सटीक उत्तर दें और नियमों से संबंधित प्रावधानों (जहां लागू हो) का उल्लेख करें। ऐसा न करने पर कुछ अंक काटे जाएंगे।
5. परीक्षार्थियों को उत्तर पुस्तिका में दिए गए स्थान पर इस प्रश्न पत्र के पुस्तिका की कोड संख्या लिखनी चाहिए।
6. उत्तर पुस्तिका के प्रथम पृष्ठ में दी गई सारणी में उत्तर पुस्तिका के उन पृष्ठ संख्या का उल्लेख कीजिए जिसमें प्रत्येक प्रश्न अथवा उनके भाग का उत्तर दिया गया हो।
7. **प्रश्नों का उत्तर देने के लिए अलग-अलग प्रकार के पेन/स्याही का प्रयोग न करें। ऐसा करने पर उत्तर पुस्तिका अमान्य हो जाएगी।**
8. उत्तर पुस्तिका में छोड़े गए किसी भी/सभी खाली जगहों को या खाली पन्नों को रेखा खींचकर काट दीजिए।
9. हिन्दी और अंग्रेजी पाठ में कोई अंतर होने की स्थिति में अंग्रेजी पाठ को सही माना जाएगा।

1. (क) निम्नलिखित मामलों में सरकारी राजस्व की प्राप्ति की तारीख क्या है? *[2+2+2=6 अंक]*

(i) जहाँ चेक या डीडी बैंक को प्रस्तुत किया गया है

(ii) जहाँ चेक या डीडी एक विभागीय अधिकारी को प्रस्तुत किया गया है

(iii) जहाँ अनुदेशों के अनुसरण में डीडी को डाक द्वारा भेजा गया है

(ख) जिन परिस्थितियों में एकल स्रोत चयन की अनुमति है? किस प्रकार एक अधिप्राप्ति करने वाली संस्था अनुचित रूप से अधिक मूल्य लगाने वाले एक एकल परामर्शदाता/सेवा प्रदाता के जोखिम को कम कर सकती है। *[6+2=8 अंक]*

(ग) जीईएम में प्राइमरी यूजर्स कौन बन सकते हैं और उनकी भूमिकाएं और जिम्मेदारियां क्या हैं? *[6 अंक]*

2. (क) जोखिम आधारित लेखापरीक्षा पर एक नोट लिखें। *[8 अंक]*

(ख) लेखापरीक्षित यूनिट के लेखों में छहः अनियमितताएं बताएं जिसमें भारी जालसाजियों को छिपाने की संभावना है। *[6 अंक]*

(ग) वे मुख्य क्षेत्र क्या हैं जिससे सरकारी अधिप्राप्ति में कुशलता, किफायत तथा जवाबदेही प्राप्त कर सकता है।
[6 अंक]

3. (क) निम्नलिखित मामलों में परिसीमन अवधि तथा वह समय जिससे अवधि शुरू होती है, क्या है?
[5x2=10 अंक]

(i) जारी किए गए अथवा पंजीकृत दस्तावेज की जालसाजी घोषित करना

(ii) एक मौजूदा प्रतिफल पर अदा किया गया धन जो बाद में असफल हो गया हो

(iii) पिछले कब्जे के आधार पर और अधिकार के आधार पर नहीं, अचल संपत्ति के कब्जे के लिए, जबकि संपत्ति पर कब्जे के दौरान वादी को संपत्ति से वंचित कर दिया गया हो

(iv) सह-जमानतदार के विरुद्ध एक जमानतदार द्वारा

(v) एक लेखे के लिए एक कारक के तहत

(ख) संविदाओं के प्रबंधन तथा कानूनी परामर्श प्राप्त करने के बारे में जीएफआर में निर्धारित प्रक्रिया की व्याख्या करें।
[5 अंक]

(ग) विज्ञापित निविदा के जरिए वस्तुओं का निपटान करते समय ध्यान में रखे जाने वाली मुख्य बातें क्या हैं?
[5 अंक]

4. (क) **किन्हीं पाँच** पर लघु टिप्पणियां लेखें : [5x3=15 अंक]

(i) भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 के अंतर्गत ऑफर तथा ऑफर के आमंत्रण के बीच अंतर

(ii) वैश्विक निविदा पूछताछ

(iii) सरकारी अधिप्राप्ति (मेक इन इंडिया को प्राथमिकता) आदेश, 2017 के अंतर्गत स्थाई समिति की रचना

(iv) लीस्ट कोस्ट सिस्टम (एलसीएस)

(v) आंतरिक लेखापरीक्षा का कार्यक्रम

(vi) जीईएम तथा मेक इन इंडिया

(vii) एक वैध संविदा के लिए अनिवार्य बातें

(viii) एकमुश्त संविदा की मॉनीटरिंग

(ख) सरकारी अधिप्राप्ति चक्र की व्याख्या करें। [5 अंक]

(ग) परिसीमन विधि के पीछे क्या औचित्य है? [5 अंक]

5. (क) अधिप्राप्ति के 5 'आर' क्या-क्या हैं? [10 अंक]

(ख) भारतीय संविदा अधिनियम मुख्य रूप से किस से संबंधित हैं? भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 के प्रावधानों के आधार पर एक करार तथा एक संविदा के बीच क्या अंतर है? [3+7=10 अंक]

Booklet Code-74

AAE – 7 (E)

ASISTANT ACCOUNTS OFFICER (CIVIL) SUPPLEMENTARY EXAMINATION, 2018

NOVEMBER, 2018

PROCUREMENT, SUPPLY ACCOUNTS,
INTERNAL AUDIT AND CONTROL
(With Books)

Time Allowed : 2 Hours *Maximum Marks : 65*

Books allowed:-

1. Manual for Procurement of Goods, 2017
2. Mannual for Procurement of Consultancy & other Services, 2017
3. (a) Central Government Account (Receipt and Payment) Rules, 1983
   (b) General Financial Rules, 2017
4. Public Procurement (Preference to Make in India) Order, 2017
5. Indian Contract Act, 1872
6. Central Sales Tax Act, 1956
7. Limitation Act, 1963
8. Inspection Code issued by Controller General of Accounts (1982 Edition)
9. Generic Internal Audit Manual

Notes:-

1. This question paper consists of **2** pages and has **5** questions.
2. Answer question No.**4** which is **Compulsory** and any **two** of the remaining questions.
3. Marks are noted against each question.
4. The candidates would be expected to answer in a clear and cogent manner. The examinee has to quote the authority in support of the answers (wherever applicable) failing which some marks will be deducted.
5. Candidates should write the Booklet Code No.of this question paper on their answersheet in the space provided.
6. In the table provided on the front cover page of the answer book, indicate the page number of the answer book where answer to each question or part thereof is written.
7. **Do not use different pens/ink for answering questions. Doing so may render the answer script invalid.**
8. Strike off all blank pages/space in the answer books.
9. In case of variation between English & Hindi versions, English version will be treated as correct.

1. **(a)** What is the date of receipt of Government Revenue in the following cases : *[2+2+2=6 marks]*

(i) Where the cheque or DD is tendered to the bank

(ii) Where the cheque or DD is tendered to a Departmental officer

(iii) Where the DD is sent by post in pursuance of instructions

(b) Under what circumstances is the Single Source Selection permissible? How should a procuring entity mitigate the risk of a single consultant/service provider charging unreasonably high price? *[6+2=8 marks]*

(c) Who can become primary users in GeM and what are their roles and responsibilities? *[6 marks]*

2. **(a)** Write a note on Risk Based Auditing *[8 marks]*

(b) List any six irregularities in accounts of audited unit which are likely to conceal potential frauds. *[6 marks]*

(c) What are the key areas that need to be addressed to achieve efficiency, economy and accountability in public procurement? *[6 marks]*

3. **(a)** What is the period of limitation and the time from which the period runs in the following cases : *[5x2=10 marks]*
   (i) To declare forgery of an instrument issued or registered.
   (ii) For money paid upon an existing consideration which afterwards fails.
   (iii) For possession of immovable property based on previous possession and not on title, when the plaintiff while in possession of the property has been dispossessed.
   (iv) By a surety against a co-surety.
   (v) Against a factor for an account.

   (b) Discuss the procedure laid down in GFR regarding the management of contracts and obtaining legal advice. *[5 marks]*

   (c) State the main consideration to be kept in mind when disposing goods through advertised tender. *[5 marks]*

4. **(a)** Write short notes on **ANY FIVE :** *[5x3=15 marks]*
   (i) Difference between offer and invitation to offer under Indian Contract Act, 1872.
   (ii) Global tender enquiry
   (iii) Composition of the Standing Committee under Public Procurement (Preference to Make in India) Order, 2017.
   (iv) Least Cost System (LCS)
   (v) Programme for Internal Inspection
   (vi) GeM and Make in India
   (vii) Essentials of a valid contract
   (viii) Monitoring a lump-sum contract

   (b) Explain Public Procurement Cycle. *[5 marks]*

   (c) What is the rationale behind the Law of Limitation? *[5 marks]*

5. **(a)** What are the 5 R's of procurement? *[10 marks]*

   (b) What does the Indian Contract Act mainly deal with? And differentiate between an agreement and a contract on the basis of the provisions of the Indian Contract Act, 1872. *[3+7=10 marks]*

———